संख्या-23/2020/2025/86-2019-57(सा0)/2017

प्रेषक,

डा0 रोशन जैकब,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग लखनऊ दिनॉकः 30 अगस्त, 2019

विषयः- निजी भूमि में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध स्वस्थाने चट्टान किस्म के उपखनिज के क्षेत्रों को ई-निविदा के माध्यम से खनन परिहार पर स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि अधिसूचना सं0-1868/ 86-2019-57(सा0)/2017, दिनांक 13.08.2019 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) (47वां संशोधन) नियमावली-2019 में निजी भूमि में उपलब्ध स्वस्थाने चट्टान किस्म के खनिज क्षेत्रों को ई-निविदा/ई-नीलामी/ई-निविदा सह ई-नीलामी के माध्यम से पट्टा पर दिये जाने का प्राविधान किया गया है। इस सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त खनन क्षेत्रों को ई-निविदा प्रणाली के माध्यम से निम्न प्रक्रिया के अनुसार खनन परिहार पर स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया हैः-

1. निजी भूमि में उपलब्ध ईमारती पत्थर के क्षेत्र, जो न्यूनतम 01(एक) हेक्टेयर हो, में उपलब्ध उपखनिज ईमारती पत्थर यथा खण्डा, गिट्टी, बोल्डर, पटिया आदि के रिक्त क्षेत्रों को, खनिज की उपलब्धता, क्षेत्र की उपयुक्तता, भू-स्वामित्व के प्रमाण पत्र, भूस्वामियों की सहमति के शपथ पत्र की पुष्टि करने के पश्चात् मात्रा एवं अवधि अधिकतम 10(दस) वर्ष का निर्धारण करते हुए ई-निविदा के माध्यम से परिहार पर दिये जायेंगे।
2. भूस्वामी/भूस्वामियों द्वारा क्षेत्र की ई-निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने पर उच्चतम बोली को संज्ञान में लेकर 07(सात) कार्यदिवस के भीतर सम्बन्धित खनन क्षेत्र पर प्रादेशिक अधिकारिता रखने वाले जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्ताव, जो उच्चतम बोली से अधिक हो प्रस्तुत करने का उसे/उन्हे एक अवसर प्राप्त होगा। ई-निविदा प्रक्रिया में भूस्वामी/भूस्वामियों को भाग लेना आवश्यक नहीं है, परन्तु भूस्वामी/ भूस्वामियों के पक्ष में खनन पट्टा स्वीकृत होने की दशा में ई-निविदा के सम्बन्ध में बिन्दु सं0-13 में दी गयी समस्त शर्तो को पूर्ण करना आवश्यक होगा।
3. भू-स्वामी/स्वामियों को प्रथम इनकार का अधिकार प्राप्त होगा। भूस्वामी द्वारा प्रथम इनकार के अधिकार का उपयोग नहीं करने पर उच्चतम् बिडकर्ता के पक्ष में पट्टा स्वीकृत किया जायेगा। उच्चतम् बिड की धनराशि का 20 प्रतिशत (प्रत्येक घन मी0 हेतु) चयनित आवेदक द्वारा भू-स्वामी/स्वामियों को प्रतिकर के रूप में दिया जायेगा, जो राज्य सरकार को संदेय धनराशि के अतिरिक्त होगी। भू-स्वामी/स्वामियों को देय ऐसी धनराशि प्रत्येक समय राज्य सरकार के भुगतान के साथ भूस्वामी के बचत खाता, जो कि अनुसूचित बैंक में हो, में किया जाना अनिवार्य होगा।
4. क्षेत्र में खनन योग्य भण्डार का निर्धारण जिलाधिकारी के द्वारा गठित समिति, जिसमें जनपद में तैनात ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी/खान निरीक्षक, सदस्य/ संयोजक होंगे, के द्वारा किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

5. जारी किये जाने वाले विज्ञप्ति में क्षेत्र में प्रथम वर्ष के लिए खनन योग्य भण्डार का उल्लेख किया जायेगा।

6. ई-टेण्डर में निविदा प्रतिघन मी0 के लिये दी जायेगी, जो ई-निविदा के लिए निर्धारित आधार मूल्य से कम नहीं होगी। किसी क्षेत्र के लिए आधार मूल्य उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली-1963 के प्रथम अनुसूची में उस खनिज के लिये निर्धारित रायल्टी की दर से कम नहीं होगी। प्रदेश में ईमारती पथर सैण्डस्टोन जिसमें पटिया/गिट्टी/बोल्डर आदि मिश्रित रूप में पाये जाते हैं, के लिए बोल्डर एवं गिट्टी में से अधिक रायल्टी दर वाले उपखनिज गिट्टी की रायल्टी की दर को आधार मूल्य मानकर ई-निविदा की कार्यवाही की जायेगी तथा सैण्डस्टोन डायमेंशनल (पटिया, चौका, ब्लाक आदि) की ई-निविदा में स्वीकृत अधिकतम रायल्टी दर से कम होने की स्थिति में नियमावली-1963 की अनुसूची-1 में निर्धारित रायल्टी दर देयता हेतु प्रभावी होगी।

7. किसी क्षेत्र के ई निविदा हेतु निविदा में भाग लेने से पूर्व प्री बिड अर्नेस्ट मनी जमा करना अनिवार्य होगा, जिसकी गणना क्षेत्र में आंकलित प्रथम वर्ष के खनन योग्य मात्रा एवं उपखनिज की रायल्टी दर से गुणा कर प्राप्त धनराशि का 25 प्रतिशत होगा।

8. क्षेत्र की स्थानीय स्थिति तथा प्राविधिक समस्याओं के दृष्टिगत अतिरिक्त शर्तो का निर्धारण संबंधित जिलाधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार किया जा सकेंगा।

9. उपलब्ध/रिक्त उप खनिज के क्षेत्रों को विज्ञापित किये जाने के पूर्व संबंधित जिलाधिकारी द्वारा वन विभाग की अनापत्ति प्राप्त करना होगा। वन विभाग की अनापत्ति प्राप्त क्षेत्रों के निर्धारित खण्डों को ई-निविदा प्रणाली से परिहार पर देने के लिये संलग्न प्रारूप-1 में विज्ञप्ति प्रकाशित की जायेगी। जिलाधिकारी या समिति ई-निविदाओं के प्रस्तुत किये जाने के अन्तिम दिनांक से कम से कम 30 कार्य दिवस पूर्व किसी ऐसे दो दैनिक हिन्दी समाचार पत्रों में, जिसका उस जिले में व्यापक परिचालन हो, जिसमें वह क्षेत्र स्थित हो, सूचना प्रकाशित कराकर ई-निविदा आमंत्रित करेगें तथा उसे ई-निविदा पोर्टल etenders.up.nic.in पर अपलोड भी कराया जायेगा। सूचना की प्रतिलिपियां सम्बन्धित जिले के वेबसाइट पर अपलोड कराया जायेगा तथा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म को प्रेषित की जायेंगी तथा जिलाधिकारी कार्यालय के सूचना पट पर और उस क्षेत्र के समीप किसी सुविधाजनक स्थान पर चिपकायी जायेंगी।

10. ई-निविदा में भाग लेने से पूर्व क्षेत्र में आंकलित उपखनिज की मात्रा एवं खनन स्थल के लिए पहुंच मार्ग आदि के लिए मौके का निरीक्षण कर निविदादाता स्वयं आश्वस्त हो लें। ई-निविदा में भाग लेने के पश्चात् इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

11. यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड को प्रदेश में ई-निविदा कराने हेतु नोडल संस्था नामित किया गया हैं। निविदाकार को ई-निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व निम्नाकिंत कार्यवाही करनी होगी :-

(क) ई-निविदा प्रक्रिया में प्रतिभाग करने वाले विडर्स/कन्ट्रैक्टर्स/वेन्डर्स द्वारा किसी भी सर्टिफाइंग एजेन्सी से डिजिटल सिगनेचर प्राप्त करना होगा।

(ख) ई-निविदा पोर्टल पर विडर्स/कन्ट्रैक्टर्स/वेन्डर्स द्वारा अपनी कम्पनी/फर्म का रजिस्ट्रेशन यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से कराया जायेगा।

(ग) विडर्स/कन्ट्रैक्टर्स/वेन्डर्स ई-निविदा पोर्टल पर प्रशिक्षण यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड से निःशुल्क प्राप्त कर सकते है।

(घ) निविदा से संबंधित अधिकारीगण, निविदा समिति के सदस्य भी डिजिटल सिगनेचर प्राप्त करेंगे। इसके अतिरिक्त संबंधित अधिकारी एवं निविदा समिति के सदस्य यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन से निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।

(ड) ई-निविदा की प्रक्रिया हेतु प्रत्येक जनपद में कम्प्यूटर में ब्राडबैण्ड कनेक्टिविटी (>512kbps) तथा वांछनीय एन्टी वायरस साफ्टवेयर लोड कराया जाय।

http://shasanadesh.up.nic.in

12. जिलाधिकारी द्वारा ई-निविदा कार्यवाही को संचालित करने के लिये निम्न प्रकार कमेटी का गठन किया जायेगाः-

क. जिलाधिकारी द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी/ प्रभारी अधिकारी खनन-- अध्यक्ष।

ख. जिलाधिकारी द्वारा नामित जिला स्तरीय वरिष्ठ अधिकारी -- सदस्य।

ग. जिले में तैनात ज्येष्ठ खानअधिकारी/खानअधिकारी/खान निरीक्षक - सदस्य/सचिव।

13. कोई व्यक्ति/फर्म/निकाय जो भारतीय नागरिक हो, जिलाधिकारी को सम्बोधित ई-निविदा संलग्न प्रारुप-2 पर प्रस्तुत कर सकता है, जिसमें निम्नलिखित बातें होंगीः-

क. निविदाकार का नाम, पिता का नाम, पता(स्थायी और वर्तमान) ई-मेल एवं मोबाईल नं0।

ख. उस क्षेत्र और खनिज का विवरण, जिसके लिये उसने निविदा प्रस्तुत की है।

ग. ई-निविदा की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु आवेदक को रू0 15,000/- का आवेदन शुल्क जमा करना होगा, जो अप्रतिदेय (Non refundable) होगा।

घ. खनिज के प्रति घन मी0 के लिये दी जाने वाली दर, जो उस खनिज के लिये नियमावली-1963 के प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट रायल्टी की दर से कम नहीं होगी।

ड.. जिलाधिकारी या ऐसे अधिकारी, जो जिलाधिकारी द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किया जाय, द्वारा जारी खनन अदेयता का प्रमाण पत्र, परन्तु जहां आवेदक प्रदेश में पट्टाधारक/ परिहारधारक न रहा हो, वहां इस आशय का शपथ पत्र।

च. भूस्वामी को छोड़कर अन्य व्यक्ति/फर्म को उस जिले के जिलाधिकारी, जहॉ वह स्थायी रूप से निवास करता है, से जारी चरित्र प्रमाण पत्र।

छ. आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र।

ज. भूस्वामी को छोड़कर अन्य व्यक्ति/फर्म को ऋण शोधन क्षमता प्रमाण पत्र या ऋण शोधन क्षमता प्रमाण पत्र के साथ बैंक प्रत्याभूति, जो निविदा की धनराशि के 25 प्रतिशत की कीमत से कम न हो।

14. विज्ञप्ति के अनुसार सात कार्य दिवसों में प्राप्त निविदाओं को अगले कार्य दिवस में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के दो सदस्यों के डिजिटल सिग्नेचर द्वारा खोला जायेगा।

15. बिन्दु संख्या 13 में उल्लिखित वांछित अभिलेखों तथा ड्राफ्ट की स्कैन प्रति ई-निविदा के साथ अपलोड किया जाना होगा। यदि निविदाकार द्वारा बिन्दु संख्या-13 में वांछित अभिलेख/बैंक ड्राफ्ट की प्रति ई-निविदा के साथ अपलोड नहीं की जाती है तो उसकी ई-निविदा अस्वीकार कर दी जायेगी। अपलोड किये जाने वाले अभिलेखों की मूल प्रति/ प्रमाणित प्रति तथा ड्राफ्ट की मूल प्रति निविदा खोले जाने से पूर्व निर्धारित अवधि के अन्तर्गत जमा करना होगा।

16. क्षेत्र से निकासी की जाने वाली खनिज के प्रति घन मी0 के लिए दी जाने वाली सर्वोच्च दर के निविदाकर्ता का चयन, भूस्वामी/भूस्वामियों द्वारा प्रथम इनकार के अधिकार को उपयोग नहीं किये जाने की दशा में, उस क्षेत्र पर खनन परिहार दिये जाने के लिए किया जायेगा। सफल निविदाकर्ता का चयन होने के उपरान्त समिति के संस्तुति के आधार पर उसे जिलाधिकारी द्वारा खनन परिहार हेतु सहमति पत्र(लेटर ऑफ इन्टेंट) जारी किया जायेगा।

17. उच्चतम् निविदा प्रस्तुत करने वाले निविदाकर्ता को छोड़कर अन्य द्वारा प्रस्तुत अग्रिम धनराशि के बैंक ड्राफ्ट को उसे वापस कर दिया जायेगा।

18. सफल निविदाकार खनन परिहार हेतु इस आशय का पत्र प्राप्त होने के उपरान्त वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक-14.09.2006 के प्राविधानों के अनुसार पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा। सक्षम अधिकारी के समक्ष पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र हेतु

http://shasanadesh.up.nic.in

आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय खनन योग्य आंकलित मात्रा हेतु माइनिंग प्लान/स्कीम बनाते हुये आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा।

19. खनन परिहार धारक पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र एवं अनुमोदित खनन योजना में दी गयी शर्तो एवं प्रतिबन्धो के अधीन ही खनन संक्रिया सम्पादित करेगा।

20. सहमति पत्र(लेटर ऑफ इन्टेंट) में निम्न विवरण होंगे :-

(1) प्रथम वर्ष के लिए देय निविदा धनराशि की गणना प्रथम वर्ष के लिए आंकलित उपखनिज की मात्रा एवं स्वीकृत निविदा दर से गुणा कर की जायेगी। अनुवर्ती वर्षो में देय धनराशि प्रत्येक वर्ष पिछले वर्ष की दर पर 10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि कर की जायेगी।

जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित उपखनिज की मात्रा यदि पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र में अनुमन्य मात्रा से भिन्न हो तो पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र की मात्रा अनुमन्य होगी। अनुमन्य मात्रा के आधार पर ई-निविदा में दी गई दर को गुणा कर वास्तविक देय धनराशि निकाली जायेगी।

(2) सफल निविदादाता, पट्टे की निर्बन्धनों और शर्तो का यथोचित पालन करने के लिए प्रतिभूति के रूप में प्रथम वर्ष के लिए निविदा की सकल धनराशि का 25 प्रतिशत और पहली किश्त के रूप में प्रथम वर्ष के लिए निविदा की सकल धनराशि का 25 प्रतिशत तीन कार्यदिवसों के अन्दर जमा करेगा। प्रि बिड अर्नेस्ट मनी प्रथम किश्त में समायोजित कर ली जायेगी।

(3) पट्टे के प्रथम वर्ष की शेष किश्तें एवं अनुवर्ती वर्षो में देय किश्तें निविदा के आधार पर प्रथम वर्ष के लिए निर्धारित सकल धनराशि पर प्रत्येक वर्ष विगत वर्ष से 10 प्रतिशत वृद्धि के साथ नियमावली-1963 के चतुर्थ अनुसूची के अनुसार जमा की जायेगी।

(4) पट्टाधारक नियम-17 के प्रावधानों के अनुसार क्षेत्र का सीमांकन कराएगा तथा नियम-35 के अनुसार सीमा स्तम्भ लगायेगा तथा इसका अनुरक्षण करेगा।

(5) प्रत्येक पट्टाधारक नियम-34 के अनुसार क्षेत्र के भूमि उद्धार और पुनर्वासन उपाय हेतु वित्तीय आश्वासन की धनराशि निर्धारित रीति से जमा करेगा।

(6) सहमति पत्र(लेटर ऑफ इन्टेंट) जारी होने के एक माह के अन्दर अनुमोदन हेतु खनन योजना निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा तथा अनुमोदित खनन योजना प्राप्त होने के एक माह के अन्दर सक्षम प्राधिकरण के समक्ष पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

21. मा0 न्यायालय एवं मा0 राष्ट्रीय न्यायाधिकरण द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेश तथा उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली-1963 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

अतः वर्णित स्थिति में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया निजी भूमि में उपलब्ध स्वस्थाने चट्टान किस्म के उपखनिज के क्षेत्रों के व्यवस्थापन की कार्यवाही उपरोक्तानुसार ई निविदा के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीया

(डा0 रोशन जैकब)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या - 2025(1)/86-2019-57(सा0)/2017 तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर मुख्य सचिव, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0शासन।

2. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।

3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0, लखनऊ को उनके पत्र सं0-799/एम-1ए15/2019(VII) दिनांक 19.08.2019 के संदर्भ में।

4. समस्त प्रभारी अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0।

5. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0, अशोक मार्ग, लखनऊ।

6. समस्त जनपदीय ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी/खान निरीक्षक (द्‌वारा-निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0, लखनऊ)।

7. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी एनआईसी, लखनऊ।

8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(हृदय नारायण सिंह यादव)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

कार्यालय जिलाधिकारी.......................।
(खनन अनुभाग)
ई–निविदा आमन्त्रण हेतु सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद..................में निजी भूमि में उपलब्ध स्वस्थाने चट्टान किस्म के खनन क्षेत्रों को शासनादेश संख्या–...दिनांक–......................में दिये गये निर्देशानुसार .... वर्ष की अवधि के लिये ई–टेण्डरिंग के माध्यम से खनन परिहार पर स्वीकृत किये जाने हेतु उपलब्ध घोषित किया जाता है तथा दिनांक–......... समय ....बजे से दिनांक–............ समय ....बजे तक क्षेत्रों के लिये ई–निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्षेत्र का विवरण :–

क0 सं0	भूस्वामी / भूस्वामियों का नाम	तहसील / ग्राम	गाटा संख्या / खण्ड संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	सीमायें				उपखनिज का नाम	खनन योग्य अनुमानित उपखनिज की मात्रा प्रथम वर्ष हेतु (घन मी0 में)
					चौहद्दी		जियोकार्डिनेट			
					उत्तर		बिन्दु–A			
					दक्षिण		बिन्दु–B			
					पूर्व		बिन्दु–C			
					पश्चिम		बिन्दु–D			

2. कोई व्यक्ति / फर्म / निकाय जो भारतीय नागरिक हो, जिलाधिकारी को सम्बोधित ई–निविदा संलग्न प्रारुप–2 पर प्रस्तुत कर सकता है, जिसमें निम्नलिखित बाते होंगी :–
   - क. विज्ञप्ति संख्या व दिनांक जिसके द्वारा क्षेत्र विज्ञापित किया गया हो।
   - ख. विज्ञप्ति में क्षेत्र का कमांक।
   - ग. निविदाकार का नाम, पिता का नाम, पता(स्थायी और वर्तमान) ई–मेल एवं मोबाईल नं0। (पता के प्रमाण स्वरूप व्यक्ति के लिए आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र तथा फर्म / कम्पनी / निकाय के लिये उनका पंजीकरण का विवरण)
   - घ. क्या आवेदक भूस्वामी है। (हॉ / नही)
   - ड.. उस क्षेत्र और खनिज का विवरण जिसके लिये उसने निविदा प्रस्तुत की है। जिसमें निम्न हो–

     भूस्वामी का नाम –
     उपखनिज का नाम –
     तहसील का नाम –
     खनन क्षेत्र का नाम / ग्राम –
     गाटा संख्या / खण्ड संख्या –
     क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
     विज्ञप्ति में दी गयी खनन योग्य अनुमानित खनिज की मात्रा –
   - च. ई–निविदा की प्रकिया में भाग लेने हेतु अप्रतिदेय आवेदन शुल्क रू0 5,000 / – के जमा का चालान।
   - छ. प्री बिड अर्नेस्ट मनी का ड्राफ्ट (जिसकी गणना क्षेत्र में आंकलित खनन योग्य मात्रा एवं उपखनिज की रायल्टी दर से गुणा कर प्राप्त धनराशि का 25 प्रतिशत होगा)
   - ज. खनिज के प्रति घन मी0 के लिये दी जाने वाली ई–निविदा की दर– (ई–निविदा की दर उस खनिज के लिये नियमावली–1963 के प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट रायल्टी की दर से कम नही होगी।)

Scanned with CamScanner

झ. प्रदेश में ईमारती पथर सैण्डस्टोन जिसमें पटिया/गिट्टी/बोल्डर आदि मिश्रित रूप में पाये जाते है, के लिए बोल्डर एवं गिट्टी में से अधिक रायल्टी दर वाले उपखनिज गिट्टी की रायल्टी की दर को आधार मूल्य मानकर ई निविदा की कार्यवाही की जायेगी तथा सैण्डस्टोन डायमेंशनल (पटिया, चौका, ब्लाक आदि) की ई–निविदा में स्वीकृत अधिकतम रायल्टी दर से कम होने की स्थिति में नियमावली–1963 की अनुसूची–1 में निर्धारित रायल्टी दर देयता हेतु प्रभावी होगा।

ट. जिलाधिकारी या ऐसे अधिकारी द्वारा जो जिलाधिकारी द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किया जाय, द्वारा जारी खनन अदेयता का प्रमाण पत्र परन्तु जहां आवेदक प्रदेश में पट्टाधारक/परिहारधारक न रहा हो, वहां इस आशय का शपथ पत्र।

ठ. भूस्वामी को छोड़कर अन्य व्यक्ति/फर्म को उस जिले के जिलाधिकारी, जहाँ वह स्थायी रूप से निवास करता है, से जारी चरित्र प्रमाण पत्र।

ड. भूस्वामी को छोड़कर अन्य व्यक्ति/फर्म को ऋण शोधन क्षमता प्रमाण पत्र या ऋण शोधन क्षमता प्रमाण पत्र के साथ बैंक प्रत्याभूति, जो ई–निविदा की धनराशि के 25 प्रतिशत से कम न हो।

बेन्दु संख्या–2 में उल्लिखित वांछित अभिलेखों तथा ड्राफ्ट की स्कैन प्रति ई–टेण्डर के साथ अपलोड किया जाना होगा।

यदि निविदाकार द्वारा बिन्दु संख्या–2 में वांछित अभिलेख /बैंक ड्राफ्ट की प्रति ई–निविदा के साथ अपलोड नही की जाती है तो उसकी ई–निविदा अस्वीकार कर दी जायेगी। अपलोड किये जाने वाले अभिलेखों की मूल प्रति/प्रमाणित प्रति तथा ड्राफ्ट की मूल प्रति निविदा खोले जाने से पूर्व निर्धारित अवधि के अन्तर्गत जमा करना होगा।

ई–निविदा आमंत्रण की तिथि के अन्दर ई–टेण्डर पोर्टल http://etender.up.nic.in पर निविदाकार के द्वारा अपनी ई–निविदा अपलोड की जायेगी।

यू0पी0 इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन लि0 लखनऊ को प्रदेश में भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग में ई–टेण्डरिंग लागू किये जाने हेतु नोडल संस्था नामित किया गया है। निविदाकार को ई–टेण्डरिंग प्रकिया में भाग लेने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही करनी होगी:–

(क) ई–टेन्डरिंग प्रक्रिया में प्रतिभाग करने वाले विडर्स/कन्ट्रैक्टर्स/ वेन्डर्स द्वारा किसी भी सर्टिफाइंग एजेन्सी से डिजिटल सिगनेचर प्राप्त करना होगा।

(ख) ई–टेन्डरिंग पोर्टल पर विडर्स /कन्ट्रैक्टर्स/ वेन्डर्स द्वारा अपनी कम्पनी/ फर्म का रजिस्ट्रेशन यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से कराया जायेगा।

(ग) विडर्स/कन्ट्रैक्टर्स/वेन्डर्स ई–टेण्डर पोर्टल पर प्रशिक्षण यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड से निःशुल्क प्राप्त कर सकते है।

निविदाकर द्वारा अपना रजिस्ट्रेशन ई–टेण्डरिंग पोर्टल पर करा लेने तथा डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करने के उपरान्त अपनी निविदा ई–टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करने हेतु निम्नांकित कार्यवाही की जानी होगी:–

i. सर्वप्रथम निविदाकार द्वारा ई–टेण्डर पोर्टल पर लॉगिंग आई0डी0 (Login ID) एवं पासवर्ड (Password) के द्वारा ई–टेण्डर पोर्टल में प्रवेश किया जायेगा।

i. तत्पश्चात निविदाकार द्वारा डिजिटल सिग्नेचर का सत्यापन (Verification) ई–टेण्डर पोर्टल पर किया जाना होगा।

i. निविदाकार द्वारा सर्च एक्टिव टेण्डर (Search Active Tender) पर क्लिक कर अपनी रूचि की निविदा का चयन कर उक्त निविदा पर प्रतिभाग (Paricipate) करने हेतु क्लिक करना होगा।

v. निविदाकार द्वारा कम्प्यूटर स्क्रीन पर ही निविदा संबंधित सभी जानकारी को सीधे देखा जा सकता है अथवा उक्त निविदा को डाउनलोड कर उसके प्रिन्ट आउट द्वारा विवरण को पढ़ा जा सकता है।

v. निविदाकार द्वारा निविदा के समुचित अध्ययन किये जाने के उपरान्त अपनी निविदा का ई–टेण्डर पर अपलोड करने के पूर्व विभिन्न अभिलेखों, दस्तावेजों की स्कैण्ड कापी की पी0डी0एफ0 फाईल बनायी जानी होगी।

Scanned with CamScanner

vi. ई–टेण्डर डाकूमेंटस की आवश्यकताओं के अनुरूप सभी वांछित दस्तावेजों की पी0डी0एफ0 फाईल तैयार हो जाने के पश्चात निविदाकार द्वारा "पे ऑफ लाईन" (Pay Offline) विकल्प पर क्लिक करने पर एग्रीमेन्ट (Agreement) आईकन के कम्प्यूटर स्कीन पर प्रदर्शित होने पर निविदाकार द्वारा आई एग्री–सबमिट (I Agree Submit) पर क्लिक करना होगा।

ii. तत्पश्चात निविदाकार द्वारा प्रि बिड अर्नेस्ट मनी से संबंधित कालम में जमा धनराशि के बैंक ड्राफ्ट का नम्बर, बैंक का नाम इत्यादि विवरण भरना होगा। भुगतान के विवरण की प्रविष्टियों भरने के बाद उसको Save कर लिया जायेगा।

iii. निविदाकार द्वारा अपनी निविदा को अपलोड करने हेतु कम्प्यूटर क्लिक करना होगा जिससे कि प्रि बिड अर्नेस्ट मनी को टेण्डर के साथ जमा किये जाने से संबंधित कार्य पूर्ण माने जायेंगे।

ix. यदि निविदाकार को ऐसा प्रतीत होता है कि उनके द्वारा सबमिट की गई तकनीकी एवं वित्तीय बिड में कोई त्रुटि है अथवा उनके द्वारा पूर्व में जमा की गई निविदा/ बिडस में संशोधन करना वांछनीय है, तो माई बिड्स (My Bids) आईकन में क्लिक कर पुनः पूर्व प्रकिया को अपनाते हुए ई–निविदा रि–बिड सबमिशन (Rebid Submission) पर क्लिक कर पुनः सबमिट (Submit) कर सकते हैं। निविदाकार द्वारा यह कार्य टेण्डर जमा करने की निर्धारित अन्तिम तिथि और समय से पूर्व किया जा सकता है। अन्तिम बार प्रस्तुत की गई निविदा (Last Submit Bid) ही ई–टेण्डर पोर्टल 'पर अनुमन्य' होगी। पूर्व में प्रस्तुत की गई बिड्स अनुमन्य नहीं होगी।

ई–टेण्डर साईट का उपयोग करने के लिए Pentium-IV अथवा उच्च विशिष्टियों युक्त कम्प्यूटर तथा ब्रॉड बैंण्ड इण्टरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होगी। कम्प्यूटर लाइनेक्स, विण्डोल एक्ससी सर्विस पैक–3 या उच्च आपरेटिंग सिस्टम एण्टीवायरस तथा इण्टरनेट एक्सप्लोरर वर्जन 7.0 या अधिक, के साथ होना चाहिए। इसके लिए इण्टरनेट केन्द्र की सेवायें ली जा सकती है।

जिला स्तर पर ई–टेण्डरिंग से सम्बन्धित टेण्डर्स अपलोड किये जाने, टेण्डर्स खोले जाने इत्यादि कार्यों हेतु जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (DIO-NIC) से सहायता ली जा सकती है तथा अन्य किसी जानकारी/ स्पष्टीकरण/प्रशिक्षण हेतु यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 10, अशोक मार्ग, लखनऊ से भी सम्पर्क किया जा सकता है।

0. ई–निविदा प्रकिया पूर्ण होने पर उच्चतम बोली को संज्ञान
भूस्वामी/भूस्वामियों द्वारा क्षेत्र की ई–निविदा प्रकिया पूर्ण होने पर उच्चतम बोली को संज्ञान में लेकर 07(सात) कार्यदिवस के भीतर सम्बन्धित खनन क्षेत्र पर प्रादेशिक अधिकारिता रखने वाले जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्ताव, जो उच्चतम बोली से अधिक हो प्रस्तुत करने का उसे/उन्हे एक अवसर प्राप्त होगा। ई–निविदा प्रकिया में भूस्वामी को भाग लेना आवश्यक नही है, परन्तु भूस्वामी/भूस्वामियों के पक्ष में खनन परिहार स्वीकृत होने की दशा में ई–निविदा के सम्बन्ध में बिन्दु सं0–03 में दी गयी समस्त शर्तो को पूर्ण करना आवश्यक होगा।

11. विज्ञप्ति के अनुसार ई निविदा प्राप्त करने की अन्तिम तिथि उपरान्त भूस्वामी के प्रथम इनकार हेतु निर्धारित अवधि 07 कार्यदिवस के पश्चात् प्राप्त ई निविदाओं को दिनांक .... को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के सदस्यों के द्वारा खोला जायेगा।

12. भूस्वामी द्वारा प्रथम इनकार के अधिकार का उपयोग नही करने पर उच्चतम बिडकर्ता के पक्ष में परिहार स्वीकृत किया जायेगा। उच्चतम बिड की धनराशि का 20 प्रतिशत (प्रत्येक घन मी0 हेतु) चयनित आवेदक द्वारा भू–स्वामी/ स्वामियों को प्रतिकर के रूप में दिया जायेगा जो राज्य सरकार को संदेय धनराशि के अतिरिक्त होगी। भू–स्वामी/स्वामियों को देय ऐसी धनराशि प्रत्येक समय राज्य सरकार के भुगतान के साथ भूस्वामी के बचत खाता जो कि अनुसूचित बैंक में हो, में किया जाना अनिवार्य होगा।

13. सफल निविदाकर्ता/भूस्वामी का चयन होने के उपरान्त समिति के संस्तुति के आधार पर उसे जिलाधिकारी द्वारा खनन परिहार हेतु सहमति पत्र(लेटर ऑफ इन्टेंट) जारी किया जायेगा। उच्चतम निविदा प्रस्तुत करने वाले निविदाकर्ता को छोड़कर अन्य द्वारा प्रस्तुत अग्रिम धनराशि के बैंक ड्राफ्ट को उसे वापस कर दिया जायेगा।

Scanned with CamScanner

14. लेटर आफ इन्टेंट निर्गत होने के 03 कार्यदिवस में ई–निविदा की सकल धनराशि का 25 प्रतिशत प्रतिभूति तथा 20 प्रतिशत प्रथम किस्त के रूप में, जिसमें अर्नेस्ट मनी की धनराशि समायोजित की जायेगी। सफल निविदाकार अथवा भूस्वामी द्वारा उक्त धनराशि जमा नही करने पर जमा अर्नेस्ट मनी जब्त कर ली जायेगी और इस सम्बन्ध में कोई शिकायत अथवा प्रत्यावेदन विचार योग्य नही होगा। पट्टे के प्रथम वर्ष की शेष किश्ते एवं अनुवर्ती वर्षो में निविदा के आधार पर प्रथम वर्ष के लिए निर्धारित सकल धनराशि पर प्रत्येक वर्ष विगत वर्ष से 10 प्रतिशत वृद्धि के साथ नियमावली–1963 के चतुर्थ अनुसूची के अनुसार जमा की जायेगी। यदि किसी अन्य प्रयोजन के लिए आवश्यक न हो तो प्रतिभूति धनराशि परिहार अवधि की समाप्ति उपरान्त एक माह के अन्दर परिहारधारक को वापस कर दी जायेगी।
15. जिलाधिकारी को कोई कारण बताए बिना समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार आरक्षित रहेगा।
16. खनन क्षेत्र अथवा अन्य किसी जानकारी के लिए संबंधित जिलाधिकारी कार्यालय के खनन अनुभाग से सम्पर्क किया जा सकता है।
17. सफल निविदाकार/भूस्वामी परिहार हेतु इस आशय पत्र प्राप्त होने के उपरान्त वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक–14.09.2006 के प्राविधानों के अनुसार पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा। सक्षम अधिकारी के समक्ष पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय खनन योग्य आंकलित मात्रा हेतु माइनिंग प्लान / स्कीम बनाते हुये आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा।
18. यदि पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र में दी गयी खनिज निकासी की मात्रा क्षेत्र के लिये आंकलित खनन योग्य भण्डार से भिन्न होती है, तब पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र में अंकित मात्रा ही परिहार अवधि के लिए क्षेत्र से खनिज की निकासी हेतु अधिकतम मात्रा होगी तथा उस मात्रा के आधार पर ई–निविदा में दी गई दर को गुणा कर वास्तविक देय धनराशि की गणना की जायेगी।
19. पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरान्त अनुबन्ध निष्पादन के पश्चात् ही खनन कार्य प्रारम्भ होगा।
20. परिहारधारक द्वारा मा0 न्यायालय एवं मा0 राष्ट्रीय न्यायाधिकरण द्वारा समय–समय पर दिये गये आदेश तथा उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली–1963 तथा समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
21. अन्य नियम एवं शर्तेः– जो क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के कारण जिलाधिकारी द्वारा आवश्यक समझी जाय।

(जिलाधिकारी)
जिले का नाम

पत्र संख्या– / तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0।
3. प्रभारी अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय .... , भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0।
4. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0, अशोक मार्ग, लखनऊ।
5. निदेशक, सूचना, उ0प्र0।
6. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी एनआईसी, लखनऊ।
7. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, जनपद ....।
8. समस्त उपजिलाधिकारी, जनपद ....।

(जिलाधिकारी)
जिले का नाम

Scanned with CamScanner

खनन परिहार हेतु ई–निविदा प्रपत्र

महत्वपूर्ण–किसी प्रकार के कटिंग/ओवरराइटिंग पर ई–निविदा निरस्त की जा सकती है।

1.	विज्ञप्ति संख्या व दिनॉक जिसके द्वारा क्षेत्र विज्ञापित किया गया हो	
2.	विज्ञप्ति में क्षेत्र का क्रमांक	
3.	जिस क्षेत्र की निविदा दी जानी है, उसका विवरण क. भूस्वामी का नाम – ख. उपखनिज का नाम– ग. जनपद का नाम– घ. तहसील का नाम– ङ.. खनन क्षेत्र का नाम/ ग्राम– च. गाटा संख्या/ खण्ड संख्या/ जोन संख्या– छ. क्षेत्रफल(हेक्टेयर में)– ज. विज्ञप्ति में दी गयी खनन योग्य अनुमानित उपखनिज की मात्रा	
4.	विज्ञाप्ति में परिहार की अवधि	
5.	क्या निविदाकार भूस्वामी है (हॉ/नही)	
6.	निविदाकार का नाम	
7.	निविदाकार के पिता का नाम (यदि लागू हो)	
8.	स्थायी पता	
9.	पत्राचार का पता	
10.	मोबाईल नम्बर	
11.	ई–मेल आईडी	
12.	पता का प्रमाण पत्र का नम्बर (पता का प्रमाण स्वरूप व्यक्ति के लिए आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र तथा फर्म/कम्पनी/निकाय के लिये उनका पंजीकरण का विवरण)	पहचान पत्र की स्कैन्ड कापी ई–टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।
13.	जिलाधिकारी या ऐसे अधिकारी द्वारा जो जिलाधिकारी द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किया जाय, द्वारा जारी खनन अदेयता का प्रमाण पत्र परन्तु जहां आवेदक प्रदेश में पट्टाधारक/परिहारधारक न रहा हो, वहां इस आशय का शपथ पत्र।	प्रमाण पत्र/शपथ पत्र की स्कैन्ड कापी ई–टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी
14.	जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र	चरित्र प्रमाण पत्र की स्कैन्ड कापी ई–टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।

Scanned with CamScanner

15.	प्री बिड अर्नेस्ट मनी का ड्राफ्ट (जिसकी गणना क्षेत्र में आंकलित खनन योग्य मात्रा एवं उपखनिज की रायल्टी दर से गुणा कर प्राप्त धनराशि का 25 प्रतिशत होगा)	ड्राफ्ट धनराशि ---- बैंक का नाम व शाखा ---- ड्राफ्ट का नम्बर ---- ड्राफ्ट का दिनांक ---- बैंक ड्राफ्ट की स्कैन्ड कापी ई–टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।
16.	खनिज के प्रति घन मी0 के लिये दी जाने वाली ई–निविदा की दर– (ई–निविदा की दर उस खनिज के लिये नियमावली–1963 के प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट रायल्टी की दर से कम नही होगी।)	रू0–....प्रति घन मी0 (अंको में) रू0–......प्रति घन मी0 (शब्दो में)

उपरोक्त उल्लिखित विवरण मेरी जानकारी में सही व सत्य है। कोई सूचना छिपायी नही गयी है तथा मैं ई–निविदा की समस्त शर्तो को स्वीकार करता हूँ।

दिनांकः–

निविदाकार के हस्ताक्षर

नाम ....

पदनाम................................

Scanned with CamScanner